न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अंकुर अग्रवाल, (आर.जे.एस.)

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या :— 336/2010

सी.आई.एस. नंबर :— Cr. Reg. Case/15/2014

सीएनआर नंबर :—RJBM020001642010

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :— 116/2010, पीएस कोतवाली, जिला बाड़मेर।

सरकार

— अभियोगी

बनाम

1. रूपाराम पुत्र चिमाराम, निवासी कगाउ, पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर।

— अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 51, 52ए, 63, 68ए कोपी राईट अधिनियम

उपस्थित :—

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी जरिए राज्य सरकार।
2- अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम गोदारा।

—:: निर्णय ::— **दिनांक : 20.08.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2010 को वक्त 4.40 पीएम पर थानाधिकारी बुद्धाराम मय कानि. गिरधारीराम, रामफूल मीणा, लोकेश भाटिया मय सरकारी जीप चालक रामसिंह मय बरामद अवैध एमपी3, डीवीडी, व ओडियो कैसेटस शील मोहर पैकेट मार्क ए मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम रूपाराम के उपस्थित थाना आए दर्ज रहे रामफूल मीणा व लोकेश भाटिया ने उपस्थित थाना पर सूचना दी कि न्यू सब्जी मण्डी के सामने एक हाथ ठैले वाला व्यक्ति उनकी म्यूजिक कंपनियों जैसे टीप्स, वीनस, सारेगामा, टीसिरिज आदि को अवैध सीडी प्रदर्शित करके बेच रहा है। इसकी तस्दीक हेतु एसएचओ बुद्धाराम मय कानि गिरधारीराम मय सरकारी वाहन के व रामफूल व लोकेश भाटिया के समय 3.40 पीएम पर थाना से रवाना होकर 3.45 पीएम पर न्यू सब्जी मण्डी बाडमेर

पहुंचे जहां एक व्यक्ति हाथ ठेले पर सीडी प्रदर्शित कर बेचता हुआ मिला जिसको एसएचओ द्वारा सूचना से अवगत कराते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रुपाराम पुत्र चिमाराम निवासी कगाऊ होना बताया। इस पर तलाशी हेतु राहगीरों को मौतबीर बनने हेतु कहा गया। मगर कोई व्यक्ति मौतबीर बनने को तैयार नही होने पर हमरा साथ आए कम्पनी के रामफूल मीणा व लोकेश भाटिया को मौतबीर मामुर ठेले की तलाशी ली गई तो मूल सीडी व कैसेट्स के अलावा ठेले पर 185 अवैध फिल्मों की डीवीडी मिली, 72 एमपी3, व 88 कैसेट पारटिटेड मिली जो छदम नाम से जारी की की हुई है जिनको मौके पर कम्पनी के प्रतिनिधि रामफूल मीणा व लोकेश भाटिया ने नकली होना बताया। उपरोक्त सभी कैसेट्स डीवीडी व एमपीथ्री पर भारतीय कोपीराईड अधिनियम की धारा 5ए, का आज्ञापक विवरण अंकित होना नहीं पाया गया। उपरोक्त सभी कैसेट्स डीवीडी, व एमपीथ्री मे विभिन्न फिल्मी व गाने पाए गए जिन्हे ठेले पर पड़े डेक मे कैसेट लगाकर सुना गया तो इनमें फिल्म कभी कभी सगम, आशा, कुली, मुकन्दर का सिकन्दर, गुलामी आदि के गाने सुने गये। इसके अलावा डीवीडी में फिल्म दाग द फायर, दिल है कि मानता नहीं, दिल आदि की फिल्में पाई गई जो मूल सीडी मे बनाई हुई मिली। ठेला मालिक रुपाराम से इनके क्रय विक्रय व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो अपने पास नही होना बताया। मुलजिम रुपाराम द्वारा अवैध सीडी व डीवीडी व कैसेट्स को प्रदर्शित कर बेचना अपराध धारा 51, 52ए, 63, 68ए कोपीराईड एक्ट का पाया जाने पर उपरोक्त 185 डीवीडी, 72 एमपी3 व 88 कैसेट्स को एक प्लास्टिक के कट्टे मे डालकर शील मोहर कर मार्क ए अंकित किया। मुलजिम रुपाराम को जुर्म से आगाह कर रुबरु मौतबीरान के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी स्थल का नक्शा मुर्तिब किया गया। ताबाद वहां से रवाना होकर मय शील्ड मोहूर पैकेट मार्क ए मय मुलजिम के थाना आकर मुकदमा दर्ज किया।...............इत्यादि। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, बाड़मेर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116/2010 अपराध अंतर्गत धारा धारा 51, 52ए, 63, 68ए कोपी राईट अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 51, 52ए, 63, 68ए कोपी राईट अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध

प्रथमदृष्ट्या मामला बनना पाए जाने पर उक्त धारा के अपराध के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त को धारा 51, 52ए, 63, 68ए कोपी राईट अधिनियम में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. <u>अभियोजन साक्ष्य</u> :—

अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में निम्न मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई :—

क्र॰ सं॰	**गवाह का नाम**	**गवाह संख्या**	**गवाह की प्रकृति**
1.	बुद्धाराम	पीडब्ल्यू—01	मौका कार्यवाही/जब्ती अधिकारी
2.	लोकेश भाटिया	पीडब्ल्यू—02	चक्षुदर्शी साक्षी
3.	रामफूल मीणा	पीडब्ल्यू—03	परिवादी
4.	निरंजन प्रतापसिंह	पीडब्ल्यू—04	अनुसंधान अधिकारी

<u>प्रलेखीय साक्ष्य</u> :—

क्र.सं.	**दस्तावेज विवरण**	**प्रदर्श**	**संबंधित फर्द के गवाह**
1.	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी—01	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम, पीडब्ल्यू—02 लोकेश, पीडब्ल्यू—03 रामफूल
2.	रवानगी रपट	प्रदर्श पी—02	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम, पीडब्ल्यू—04 निरंजन
3.	फर्द जब्ती सीडी	प्रदर्श पी—03	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम, पीडब्ल्यू—02 लोकेश, पीडब्ल्यू—03 रामफूल, पीडब्ल्यू—04 निरंजन
4.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी—04	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम, पीडब्ल्यू—02 लोकेश, पीडब्ल्यू—03 रामफूल, पीडब्ल्यू—04 निरंजन
5.	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी—05	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम, पीडब्ल्यू—02 लोकेश, पीडब्ल्यू—03 रामफूल

6.	आमद रपट	प्रदर्श पी—06	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम
7.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी—07	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम
8.	मालखाना रजिस्टर	प्रदर्श पी—08	पीडब्ल्यू—01 बुद्धाराम
9.	अधिकार पत्र	प्रदर्श पी—09	पीडब्ल्यू—02 लोकेश
10.	अनुभव प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी—10	पीडब्ल्यू—02 लोकेश
11.	कॉपीराईट प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी—11 से 13	पीडब्ल्यू—02 लोकेश
12.	प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी—14	पीडब्ल्यू—03 रामफूल
13.	पावर ऑफ अर्टोनी	प्रदर्श पी—15	पीडब्ल्यू—03 रामफूल
14.	प्रशिक्षण पत्र	प्रदर्श पी—16	पीडब्ल्यू—03 रामफूल

इत्यादि पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

4. अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया, जिस पर अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया एवं स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया, जिस पर साक्ष्य सफाई पूर्ण कर समाप्त की गई।

5. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई।

6. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण मे अभियोजन पक्ष ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अंत में विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को आरोपित अपराधों के तहत दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में कार्यवाही का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और न ही आस—पास के किसी व्यक्ति को गवाह बनाया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

<u>विचारणीय बिन्दु</u> :—

8. विद्वान् उभय पक्ष के तर्कों पर मनन करने एवं उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अब निम्नलिखित अवधारणार्थ प्रश्न उत्पन्न होता है कि :—

> **"क्या अभियुक्त रूपाराम ने दिनांक 10.04.2016 को 3.40 पीएम या उसके आसपास मुखबीर की इत्तला पर न्यू सब्जी मण्डी के सामने बाडमेर में हाथ ठैले को चैक किया तो 185 अवैध फिल्मों की डीवीडी, 72 एमपी3, 88 केसिट पायरेटेड जिनमें फिल्म कभी—कभी, संगम, आशा, कुली, मुकंदर का सिकंदर, गुलामी आदि फिल्मों की ब्रिकी/भाडे पर देने से संबंधित व्यापार में लिप्त पाए गए जो कि इसका कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था तथा विभिन्न फिल्मों व फिल्मों के गानों की बिना किसी वैध एवं आवश्यक अनुज्ञा पत्र के कॉपी करते हुए पाया गया और इस प्रकार कॉपी की हुई डीवीडी व सीडी कब्जे में पाई गई तथा उक्त सीडी पर धारा 52 कॉपीराईट एक्ट के प्रकाशन के लिए आवश्यक विशिष्टियों का उल्लेख नहीं पाया गया ?**
>
> **यदि हां तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?"**

<u>न्यायालय का विनम्र विवेचन एवं मत</u> :—

9. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 04 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। गवाह पीडब्ल्यू—02 लोकेश भाटिया जिसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—पी 01 पेश की है, की साक्ष्य का अवलोकन करे तो अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 10.04.2010 को वह म्युजिक कम्पनी सुपर कैसेट्स इण्डस्टीज में एण्टी पायरेसी अधिकारी था तथा सारेगामा, टिप्स, वीनस, सोनी म्युजिक, टी—सीरीज की पायरेसी रोकने के लिए वह अधिकृत था। बाड़मेर में न्यु सब्जी मण्डी के सामने अवैध रूप से उनकी कम्पनियो की सीडीयो की कॉपी कर हाथ ठैलो पर बेची जा रही थी जिसकी सूचना उन्होंने थानाधिकारी कोतवाली बुद्धारामजी को दी थी जिस पर बुद्धारामजी सीआई, वह गिरधारी मय व रामफुल मीणा जो आईएमआई म्युजिक कम्पनी के अधिकृत थे। वे सब एक ठैले के पास पहुंचे जहां एक व्यक्ति सीडी प्रदर्शित कर बेचता पाया गया जिसको सीआई साहब से अवगत करवाते हुए नाम पुछा तो उसने अपना

नाम रूपाराम बताया तथा उसने बताया कि वह कॉपी की हुई सीडिया बेचता है। सीआई साहब ने राह चलते हुए लोगो को गवाह बनने के लिए कहा तो लोग तैयार नहीं हुए तो उसे व रामफुल को गवाह बनाते हुए उस ठैल की तलाशी ली। उस थेले में 185 अवैध फिल्मों की सीडी, 72 एमपी3 सीडी व 88 अवैध पायरेटेड कैसेट्स मिली। उक्त सभी नकली थी जो कि धारा 52ए कॉपीराइट एक्ट में अपराध होने से उन फिल्मों व सीडियों को चलाकर देखा तो वो सभी फिल्मे मूल सीडी से कॉपी कर बनाई गई थी। जिनमें संगम, मुकद्दर का सिकन्दर, गुलामी, आशा, दिल है कि मानता नहीं, दिल, दाग द फायर आदि की थी। ठैला मालिक रूपाराम के पास इनको बेचने का कोई लाइसेन्स नहीं था। उक्त सभी सीडी डीवीडी को उन्होंने प्लास्टिक के कट्टे में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क ए अंकित किया। रूपाराम ने कॉपी कर उनकी कम्पनी को राजस्व का नुकसान पहुंचाया। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, बरामदगी स्थल का नजरीनक्शा व जब्ती अवैध सीडी प्रदर्श पी 04 व 03 है। मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श पी 09 उसका अधिकार पत्र जो सुपर कैसेट्स इण्डस्ट्रीज का जारी किया हुआ है तथा प्रदर्श पी 10 उसे असली व नकली की पहचान का अनुभव होने का प्रमाण पत्र तथा प्रदर्श पी 11, 12, 13 कॉपीराइट प्रमाण पत्र है।

10. अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा में गवाह पी—डब्ल्यू 02 लोकेश भाटिया ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल व्यस्त इलाका है। जिस पर हर समय यथावत लोगों का आना जाना लगा रहता है तथा घटनास्थल के सामने सब्जीमण्डी आई हुई है। वह घटना से पूर्व रूपाराम को नहीं जानता था। स्वीकार किया है कि उसने रूपाराम को नकली सीडी खरीदते हुए व बनाते हुए नहीं देखा था। स्वीकार किया है कि रूपाराम के हाथ ठेले पर नकली सीडी बनाने का कोई भी उपकरण रूपाराम से बरामद नहीं किया गया। वह नहीं बता सकता कि आम लोगो को नकली सीडी की पहचान है कि नहीं। स्वीकार किया है कि उक्त बरामदसुदा केसिट सेट्स रूपाराम कहीं बाजार से खरीदकर लाया था। जब वह ठेले पर पहुंचे उस समय रूपाराम नकली सीडी नहीं बना रहा था। स्वीकार किया है कि बरामदसुदा कैसेट्स सीडी पर रूपाराम का नाम अंकित नहीं था।

11. इस प्रकार उक्त गवाह पी—डब्ल्यू 02 लोकेश भाटिया द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं के म्युजिक कम्पनी सुपर कैसेट्स इण्डस्टीज में एण्टी पायरेसी अधिकारी होने तथा सारेगामा, टिप्स, वीनस, सोनी म्युजिक, टी—सीरीज की पायरेसी रोकने के लिए स्वयं के अधिकृत होने तथा बाड़मेर में न्यु सब्जी मण्डी के सामने अवैध रूप से उसकी कम्पनियो की सीडीयो की कॉपी कर हाथ ठैलो पर बेची जाने की सूचना मिलने पर उक्त सूचना थानाधिकारी कोतवाली को दिए जाने व थानाधिकारी कोतवाली के साथ स्वयं व रामफुल मीणा जो आईएमआई म्युजिक कम्पनी के अधिकृत थे, मय जाब्ता ठैले पर पहुंचे जहां रूपाराम के कब्जे के ठैले में से 185 अवैध फिल्मों की सीडी, 72 एमपी3 सीडी व 88 अवैध पायरेटेड कैसेट्स बरामद होने का कथन किया है।

12. जाब्ते के अन्य गवाह पी—डब्ल्यू 03 रामफूल मीणा द्वारा भी अपनी साक्ष्य में स्वयं के इण्डियन म्यूजिकल इण्डिस्ट्री में सहायक इन्वेस्टिगेटर के पद पर कार्यरत होने व उसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में होने व दिनांक 10.04.2010 को वह और उसके सहायक कर्मचारी लोकेश भाटिया बाड़मेर कस्बे में सर्वे करने पर न्यू सब्जी मण्डी रोड पर एक व्यक्ति के हाथ ठेले पर अवैध सीडी प्रदर्शित कर बेचना पाए जाने पर उसकी सूचना लिखित में थानाधिकारी बुद्धाराम को देने जिस पर स्वयं व लोकेश भाटिया के थानाधिकारी बुद्धाराम के साथ मय जाब्ता न्यू सब्जी मण्डी स्थित ठैले पर जाने जहां रूपाराम के कब्जे के ठैले में 185 डीवीडी, 72 एमपी3 व 88 कैसेट्स पायरेटेड मिलने व उन पर इन्लेकार्ड पर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52ए का उल्लघंन पाये जाने पर तथा उक्त सभी डीवीडी, सीडी, एमपी3 व कैसेट को कब्जे में लेकर व कुछेक को डेक पर चलाकर उन्हीं फिल्मों के गाने पाए गए, जो उनके इन्लेकार्ड पर अंकित थे का कथन किया है तथा रिपोर्ट प्रदर्श—पी 01, फर्द जब्ती एमपी3 व डीवीडी प्रदर्श—पी 03, नक्शा मौका प्रदर्श—पी 04, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श—पी 05 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है तथा स्वयं के प्रशिक्षण पत्र प्रदर्श—पी 15 व प्रदर्श—पी 16 होने का कथन किया है।

13. अन्य गवाह पी—डब्ल्यू 01 बुद्धाराम द्वारा भी अपनी साक्ष्य में दिनांक 10.04.2010 को स्वयं के थानाधिकारी कोतवाली के पद पर पदस्थापित होने तथा उस दिन रामफूल मीणा सहायक इंवेस्टीगेटर आईएमआई, जयपुर द्वारा अपने

साथी लोकेश भाटिया के साथ थाना पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—पी 01 पेश करने जिसमें न्यू सब्जी मण्डी के सामने हाथ ठैले पर एक व्यक्ति द्वारा उनकी म्यूजिक कंपनियां टीप्स, वीनस, टी सिरिज आदि की अवैध सीडी प्रदर्शित करके बेचने का अंकित किया हुआ होने पर स्वयं के मय जाब्ता रामफूल व लोकेश के साथ न्यू सब्जी मण्डी पहुंचने, जहां रूपाराम के कब्जे के ठैले पर 185 अवैध फिल्मों की डीवीडी, 72 एमपी3 व 88 अवैध कैसिट मिलने जिनको मौके पर कंपनी के प्रतिनिधि रामफूल मीणा व लोकेश भाटिया द्वारा चैक करके नकली होना बताए जाने व उपरोक्त सभी कैसिट, डीवीडी व एमपी3 में विभिन्न फिल्मों के गाने पाए जाने जिन्हें ठैले पर पडे डेक से कैसिट लगाकर सुनने पर फिल्म कभी—कभी, संगम, आशा, कुली, मुकंदर का सिकंदर, गुलामी आदि के गाने पाए जाने तथा इसके अलावा डीवीडी में फिल्म दाग द फायर, दिल है कि मानता नहीं व दिल आदि फिल्में पाए जाने जिनके क्रय—विक्रय बाबात् रूपाराम के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होने व उस पर उक्त सीडी, डीवीडी व एमपी3 को रूपाराम द्वारा अपने कब्जे में रखना व विक्रय करना धारा 51, 52ए, 63, 68ए कॉपी राईट अधिनियम में दण्डनीय होने से एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श—पी 03 के जब्त किए जाने, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श—पी 04 व रूपाराम को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श—पी 05 के गिरफ्तार किए जाने व वापस थाने आकर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान निरंजन प्रतापसिंह एसआई के जिम्मे किए जाने बाद तफ्तीश से रूपाराम के विरूद्ध धारा 51, 52ए, 63, 68ए कॉपी राईट अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जाने का कथन किया है तथा गवाह ने साक्ष्य के दौरान अभियुक्त की ओर से जब्तशुदा माल बाबत् अनापत्ति जाहिर की है।

14. अन्य गवाह पी—डब्ल्यू 04 निरंजन प्रतापसिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त होने पर उसके द्वारा बुद्धाराम, रामफूल मीणा, लोकेश भाटिया के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल करने तथा प्रकरण में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का विभिन्न संगीत कंपनियों की पाईरेसी व कॉपीराईट एक्ट के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार पत्र की छायाप्रति को शामिल पत्रावली करने तथा बुद्धाराम द्वारा की गई कार्यवाही व दस्तावेज को प्रदर्श—पी 02 रोजनामचा रिपोर्ट

रवानगी व आमद रिपोर्ट फर्द जब्ती प्रदर्श—पी 03 व नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श—पी 04 शामिल पत्रावली करने व रामफूल मीणा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियां जरिए प्रार्थना पत्र प्रदर्श—पी 14 के शामिल पत्रावली करने व बाद तफ्तीश रूपाराम के विरूद्ध धारा 51, 52ए, 63, 68ए कॉपी राईट अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी को पेश करने का कथन किया है।

15. अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह पी—डब्ल्यू 04 निरंजन प्रतापसिंह ने स्वीकार किया है किया है कि उसके द्वारा कोई जब्ती नहीं की गई और न ही वह मौके पर गया था। स्वीकार किया है कि कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा जो अधिकार पत्र पेश किया गया था उसके संबंध में सत्यता की जांच उसने कंपनी से नहीं की थी। जब्तशुदा माल उसके समक्ष पेश नहीं हुआ था। उसने जब्तशुदा डीवीडी व केसिट चलाकर नहीं देखी। कंपनी के प्रतिनिधियों के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं के द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किए जाने का कथन किया है।

16. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त गवाहान की साक्ष्य का समग्र अवलोकन करे तो गवाहान पी—डब्ल्यू 01 बुद्धाराम, पी—डब्ल्यू 02 लोकेश भाटिया व पी—डब्ल्यू 03 रामफूल मीणा द्वारा अपनी साक्ष्य में बाडमेर में न्यू सब्जी मण्डी में एक व्यक्ति के हाथ ठैले पर अवैध सीडी प्रदर्शित कर बेचने की सूचना थानाधिकारी बुद्धाराम(पी—डब्ल्यू 01) को दिए जाने पर मय जाब्ता न्यू सब्जी मण्डी जाने जहां रूपाराम के कब्जे के हाथ ठैले पर 185 डीवीडी, 72 एमपी3 व 88 कैसेट्स पायरेटेड मिलने तथा उनमें कभी—कभी, संगम, आशा, कुली, मुकंदर का सिकंदर, गुलामी आदि के गाने तथा दाग द फायर, दिल है कि मानता नहीं व दिल आदि फिल्में आदि पाए जाने जिनके विक्रय बाबत् रूपाराम के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होने का कथन किया है। उक्त गवाहान से की गई प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे कि रूपाराम के कब्जे से बिना अनुज्ञा पत्र 185 फिल्मों की डीवीडी, 72 एमपी3 व 88 पायरेटेड कैसिट बरामद होने के तथ्य का कोई खण्डन होता हो।

17. गवाह पी—डब्ल्यू 02 लोकेश भाटिया द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं के सीडी के असली व नकली की पहचान होने बाबत् अनुभव प्रमाण पत्र प्रदर्श—पी 10 व गवाह पी—डब्ल्यू 03 रामफूल मीणा द्वारा प्रशिक्षण पत्र प्रदर्श—पी 16 पेश कर प्रदर्शित व प्रमाणित कराए है तथा फिल्में दाग द फायर, दिल है कि मानता नहीं व दिल के संबंध में कॉपीराईट एक्ट क्रम संख्या प्रदर्श—पी 11 लगायत 13 को प्रदर्शित कराया गया है तथा गवाह पी—डब्ल्यू 03 रामफूल मीणा द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रकरण में बरामदशुदा सीडी पर इन्लेकार्ड की धारा 52ए कॉपीराइट एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन होने का कथन किया है, जिनका कि कोई खण्डन अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में नहीं हुआ है अर्थात् प्रकरण में जब्तशुदा सीडी पर धारा 52 कॉपीराईट एक्ट के प्रकाशन के लिए आवश्यक विशिष्टियों का उल्लेख नहीं किया जाना भी प्रकट है।

18. इस प्रकार पत्रावली पर आई उपरोक्त गवाहान की समग्र साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्त रूपाराम के कब्जे से 185 अवैध फिल्मों की सीडी, 72 एमपी3 सीडी व 88 अवैध पायरेटेड कैसेट्स विक्रय हेतु रखने तथा उन पर धारा 52ए कॉपीराईट एक्ट के तहत प्रकाश के लिए आवश्यक विशिष्टियों का उल्लेख नहीं होने का तथ्य प्रमाणित है।

19. अतः अभियोज पक्ष विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रूपाराम अपराध अंतर्गत धारा 51, 52ए, 63, 68ए कॉपी राईट अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

—: आदेश :—

20. परिणामतः अभियुक्त **रूपाराम पुत्र चिमाराम, निवासी कगाउ, पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर** को अपराध अंतर्गत धारा 51, 52ए, 63, 68ए कॉपी राईट अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंकुर अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर,
जिला बाड़मेर (राजस्थान)

सजा का प्रश्नः—

21. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त वर्ष 2010 से अंवीक्षा भुगत रहा है। यदि उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो इससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अतः उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने विरोध कर कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हुआ है। अतः अभियुक्त को कड़े दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

22. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त वर्ष 2010 से लगातार अंवीक्षा भुगत रहा है। साथ ही अभियुक्त ने पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने व परिवीक्षा का लाभ प्राप्त नहीं करने बाबत शपथपत्र भी पेश किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

23. अतः अभियुक्त रूपाराम पुत्र चिमाराम, निवासी कगाउ, पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 51, 52ए, 63, 68ए कॉपी राईट अधिनियम के तहत दोषसिद्ध कर तत्काल कारावास से दंडित नहीं कर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि हेतु 10,000/— रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस शर्त के साथ पेश करे कि इस अवधि में शांति व सदाचरण बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित हो जायेगा। अभियुक्त को धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त 1,000/— रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करवाये। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।

24. अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके अंतर्गत धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 इस निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे। उक्त अवधि में अपील होने पर उनके उन्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा और उक्त अवधि में अपील नहीं होने पर उक्त अवधि के अवसान पर स्वतः ही उन्मोचित समझे जावेंगे।

उक्त निर्णय की प्रति सी॰आई॰एस॰ पर अपलोड की जावे।

(अंकुर अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर,
जिला बाड़मेर (राजस्थान)

26. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 20.08.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में, बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन, सुनाया गया।

(अंकुर अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर,
जिला बाड़मेर (राजस्थान)